न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी –अपूर्वा परवाल आर ए एस

प्रकरण संख्या – 121 / 17

वादीगण –

1. सुन्दरदास उर्फ सुंदरलाल पुत्र लिखमीदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नम्बर 286, रामनगर, पुरानी झवर रोड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. दाखूदेवी पत्नी श्री मोहनदास जाति साद निवासी सांग जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर।
2. कालूदास उर्फ प्रेमदास पुत्र श्री मोहनदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास मकान नम्बर 59, बलदेव नगर शिव बालाजी मंदिर के पास, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
3. माधुदास पुत्र श्री मोहनदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर।
4. बुधाराम पुत्र श्री मोहनदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास ओम कॉलोनी, बालाजी मंदिर सैक्टर सी, सरस्वती नगर, बासनी–प्रथम, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
5. जगदीश पुत्र श्री मोहनदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास प्लॉट नम्बर 16, रतन मुनि नगर, बिजलीघर के सामने, सालावास रोड, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
6. विष्णुदास पुत्र श्री मोहनदास जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास ओम कोलोनी, सरस्वती नगर, सैक्टर सी, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
7. रामूदेवी देवी पुत्री श्री मोहनदास पत्नी स्वर्गीय श्री मांगीलाल जाति साद निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास मकान नम्बर 74, बलदेव नगर, एस ब्लॉक, जोधपर तहसील व जिला जोधपुर।
8. भंवरदेवी पुत्री श्री सोहनदास साद पत्नी श्री अमरदास साद जाति निवासी गांव जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास गांव गोलासनी तहसील व जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक

:: निर्णय ::

उपस्थिति :—
श्री जयदेवसिंह चारण व श्री नवरतनदान चारण अधिवक्ता वादीगण की ओर से

वादी ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की बहैसियत मालिकाना खातेदारी की कब्जा व कास्त की गांव जालेली दईकड़ा तहसील जोधपुर में खसरा नम्बर 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि स्थित है। जमाबन्दी संख्या 173 गांव जालेली नायला सम्वत 2059 से 2062 तक की प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान पडोस का विवरण निम्नानुसार है :—

पूर्व दिशा में :— पन्नाराम पुत्र श्री बीरदाराम जाति जाट की भूमि तथा मोटाराम, कालूराम व ओमप्रकाश पिसरान जेठाराम की भूमि

पश्चिम दिशा में :— शेराराम, सुरताराम, पप्पाराम, पिसरान श्री मांगीलाल की भूमि तथा दिनेश पुत्र श्री धोकल वगैरा की भूमि एवं छोटूराम पुत्र कंवराराम वगैरा की भूमि

उत्तर दिशा में :— महेश पुष्पेन्द्र व जितेन्द्र पिसरान श्री ओमप्रकाश की भूमि, दाखू, चूकूडी व कौलकी पुत्रियान श्री धूडाराम मेघवाल की भूमि तथा गोकलराम, भानूराम व अण्दाराम पिसरान श्री भीखाराम मेघवाल की भूमि

दक्षिण दिशा में :— भारतीय रलवे लाईन की भूमि तथा बाद में भीयाराम पुत्र श्री अणदाराम, महेन्द्र व सूरजाराम पिसरान श्री मुलतानराम की भूमि तथा वचनाराम व बलदेवराम पिसरान श्री पूराराम जाति जाट की भूमि

वादी सुन्दरदास प्रतिवादी संख्या 1 दाखूदेवी के पति व प्रतिवादी संख 2—7 तक के पिता स्व. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री लिखमीदास, प्रतिवादी संख्या 8 भंवरीदेवी के पिता स्व. श्री सोहनदास पुत्र श्री लिखमीदास तथा नेनूराम, रामगोपाल व रामदास पिसरान श्री लिखमीदास की संयुक्त रकर्डड खातेदारी की निम्न लिखित कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

खसरा नम्बर	रकबा		सम्बन्धित गांव का नाम
	बीघा	बिस्वा	
150	21	02	गांव जालेली दईकड़ा तहसील , जोधपुर
225	17	15	गांव जालेली दईकड़ा तहसील, जोधपुर
709	44	07	पूर्व गांव सालवा कलां, वर्तमान गांव का नाम रामनगर, तहसील जोधपुर
कुल रकबा	83 बीघा 04 बिस्वा		

उपरोक्त वर्णित तथ्य/विवरण नामान्तरकरण संख्या 115 गांव जालेली दईकड़ा तथा जमाबन्दी संख्या 375 गांव सालवा कलां सम्वत 2041—2044 से प्रमाणित है। सम्बंधित दस्तावेज वाद के साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित विवरण अनुसार वादी सुन्दरदास प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2—7 तक के पिता मोहनदास, प्रतिवादी संख्या 8 के पिता सोहनदास, नेनूराम, रामगोपाल, व रामदास पिसरान श्री लिखमीदास तथा इन्द्रादेवी पत्नी श्री लिखमीदास उपरोक्त वर्णित कुल रकबा भूमि 83 बीघा 04 बिस्वा के कुल सात हिस्सेदार हुये तथा प्रत्येक हिस्सेदार का 1/7 यानि सातवां हिस्सा निहित था। इस 1/7 यानि सातवां हिस्सा अनुसार प्रत्येक

हिस्सेदार के बंट में रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा 14–2/7 बिश्वांशी बना। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2–7 तक के पिता स्व. मोहनदास का तथा प्रतिवादी संख्या 8 के पिता सोहनदास का यानि दोनो का मिलाकर बंट का कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा8–4/7 बिश्वांशी बना। शेष रकबा 59 बीघा 8 बिस्वा 11–3/7 ग्यारह सही तीन बट्टा सात बिश्वांशी उक्त उपरोक्त वर्णित चार हिस्सेदारो वादी सुन्दरदास तथा उपरोक्त वर्णित नेनूराम, रामगोपाल व रामदास पिसरान श्री लिखमीदास का बना। उपरोक्त वर्णित कुल रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि में से प्रतिवादीसंख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 तक के पिता मोहनदास तथा प्रतिवादी संख्या 8 के पिता सोहनदास पक्ष के बंट मे उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 709 का कुल रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा में से 1/2 यानि आधा भाग रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा 10 बिश्वांशी आपसी पारिवारिक समझोता में तय किया गया था यह तथ्य रूपये 3/– के स्टाम्प पर उक्त मोहनदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा स्वर्गीय सोहनदास की पत्नी गीता द्वारा अंगुष्ठ निशान की आपसी पारिवारिक समझोता लिखत दिनांक 29.4.69 से प्रमाणित है। उक्त पारिवारिक समझोता लिखत में तथ्य वर्णित है कि " इकरारनामा एक भाई नेनूराम, रामगोपाल, रामलाल, सुन्दरलाल वल्द लक्ष्मीदास जी रा ने लिख दीना भाई मोहनलाल बेटा लक्ष्मीदास जी रा गीता विधवा सोहनलाल लिख दीना तथा खेत सालवा कला रो काकड में जाल खेड़ो बीगा 44 बिस्वा 7 पट्टा नम्बर 1/295 खसरा नम्बर 709 सन तारीख 21.12.42 ने ओ खेत सम्भलायो रो हो जीण माप सु आधो थाने दीना जणरी आथुणी तरफ रो उबो पाति भाई नेनूराम, रामगोपाल, रामलाल, सुन्दरलाल रा इण चार भाईयो रो छै। चारू भाईयो रे बंट रो खेत में हमी दोनो मोवनलाल गीता कोई करे नहीं ईण मुजब बंटवाडो उपर मुजब राजी कुशी सु करदीनो छै। इण कोई तरारो तो टंटो झगड़ो करे तो राज तेज पचायती में झूठो पडे। इकरारनामा रो लिखावट रा दा मुथा जीवराज रा छे। शाह मोहनलाल जी गीता दोनो रे केणा सू लिख दिनो छै। गांव जालेलिया में अरूबरू सम्वत 2015 रा बैसाक सुद 12 तारीख 29.04. 1969" ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में नियमानुसार वादग्रसत कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा आपसी पारिवारिक समझौता अनुसार सिर्फ वादी व अन्य हिस्सेदार नैनूराम, रामगोपाल व रामलाल उर्फ रामदास की ही बहैसियत खातेदारी की भूमि रही। तत्पश्चात उक्त नैनूराम, रामगोपाल व रामदास ने इस खसरा नम्बर की रकबा भूमि में अपना हिस्सा वादी सुंदरदास के पक्ष में तर्क कर दिया। पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) हकतर्कनामा दिनांक 27.7.1989 को निष्पादित कर हक तर्क कर दिया। यह तथ्य पंजीबद्ध हकर्तकनामा दिनांक 27.7.1989 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 459 गांव जालेली दईकड़ा से पूर्ण व साफ रूप से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण वादग्रस्त रकबा कृषि भूमि का सिर्फ वादी सुंदरदास ही नियमानुसार विधिवत रूप से काबिज खातेदार है तथा वादी के अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1–8 पक्षकार का दिनांक 29.4.1969 से वादग्रस्त रकबा कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से तनिक भी रूप से कोई हक या अधिकार या हिस्सा या कब्जा या काश्त या उपयोग या उपभोग आज दिन तक नहीं रहा है तथा न ही आज दिन है। अतः वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि :– वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा गांव जालेली दईकड़ा तहसील जोधपुर का वादी को खातेदार आसामी होना घोषित फरमाया जावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस प्रकार की चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादी की इस बहैसियत खातेदारी की कब्जा व काश्त की मालिकाना कृषि भूमि पर भविष्य में वादी के कब्जा व काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई भी दखलंदाजी न तो स्वयं पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी पैरा करवावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री जारी फरमाई जावे। वादी को प्रतिवादीगण के इस वाद से संबंधित हुआ संपूर्ण हर्जा व खर्चा दिलवाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामिल शुदा पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दर्ज करवाकर जवाबदावा प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रारंभिक आपत्तियां पेश की गयी :– प्रतिवादीसंख्या 1–8 ने वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए कहा कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद कारण या कार्यवाही करने का आधार प्राप्त नहीं है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आया है अतः वादी

का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी का वाद म्याद विधि से बाधित है। वाद का मूल आधार तथाकथित दस्तावेज सम्वत् 2015 की बैसाख सुद 12 तारीख 29.4.1969 को बनाया गया है। जिसके आधार पर पिछले 46 वर्षों में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किये जाने का कोई स्पष्टीकरण वाद पत्र में अंकित नहीं है। वादी उक्त खसरा सं. 150 की भूमि के किसी भी भाग पर काबिज नहीं हैं उक्त कृषि भूमि गांव जालेली दईकड़ा में स्थित हैं वादी का परिवार पिछले करीब 40 वर्षों से जोधपुर में निवास करता हैं वर्तमान निवास से पहले वादी मदेरणा कॉलोनी भदवासिया, जोधपुर में वादी का परिवार निवास करता था एवं वर्तमान में 7–8 वर्षों से रामनगर, पुरानी झंवर रोड़ जोधपुर में निवास करता हैं वादी फौज में नौकरी करता था। वह अपने नौकरी के रूतबे का नाजायज दबाव देकर अपने ही परिवार वालों को कृषि भूमि हड़पन के लिए यह वाद लाया हे, जो काबिज ए खारिज है।

प्रतिवादीगण सं. 1–8 द्वारा दावा का पदवार जवाब निम्नानुसार पेश किये :– उक्त भूमि कभी भी वादी का मालिकाना खातेदारी व कब्जा काश्त नहीं रही न ही वादी उक्त कृषि भूमि का मालिक हैं उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी ।।। प्रतिवादीगण व लिखमीदास जी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से पति व 2 –7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 के पिता सोहनदास जी व वादी सुन्दरदास नैनूराम, रामगोपाल व रामदास की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि का वादी कभी भी इकलौता मालिक कब्जा काश्त न तो रहा है न है। जिस प्रकार वादी ने आस पड़ौस अंकित किया है, स्वीकार्य नहीं है। जवाबदावा में यह बताया कि वादी की स्वयं की माताजी इन्द्रादेवी पत्नी स्व. लिखमीदास की मृत्यु आषाढ माह संवत 2065 में जो चुकी हैं इसके बावजुद प्रतिवादीगण के हक हिस्से की जमीन हडपन की नियम से अपनी माताजी स्व. इन्द्रादेवी का भी 7 वां हिस्सा अपने साथ मिलाकर कुल कृषि भूमि में 6 हिस्सों के बजाय 7 हिस्से कर लिये। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के पति मोहनदास, प्रतिवादीगण संख्या 2–7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पिता स्व. सोहनदास, नैनूराम रामगोपाल व रामदास ही लिखमीदास जी के शेष वारिसान हैं इनके अलावा कोई वारिसान नहीं है। वादी के माताजी इन्द्रादेवी की मृत्यु आषाढ़ माह संवत 2065 में हो चुकी है। वादी ने खसरा नं. 225 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा गांव जालेली दईकड़ा व खसरा नं. 709 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा, सालवा कलां वर्तमान गांव रामनगर जोधपुर का इस वादपत्र में वर्णन किया है लेकिन उक्त खसराओं की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कदीम से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी ने गलत तथ्य अंकित कर उक्त खसराओं की भूमि बाबत वर्णन यिका है। प्रतिवादीगण की जानकारी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2–7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 की माता ने ऐसी कोई लिखत वादी व वादी के भाई नैनूराम, रामगोपाल व रामदास के पक्ष में नहीं लिखी। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाना कानूनसम्मत नहीं है। कृषि भूमि खसरा नं. 150, रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा काश्त हैं प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर आज दिन शांतिपूर्वक काबिज व कब्जा काश्त है। खसरा नं. 150 की कृषि भूमि 21 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/6 भाग है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 अपने पति व प्रतिवादी संख्या 2–7 अपने पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 अपने पिता के समय से कब्जा काश्त है जो आज दिन भी रिकॉडेड खातेदार की हैसियत से मालिक स्वामी है। वादी के हक में अलग कोई हकतर्कनामा किया भी गया हो, इस बात की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। वादी ने किन परिस्थितियों में हकतर्कनामा प्राप्त किया, वादी स्वयं स्पष्ट करे। वादी दिनांक 13.7.2014 को गांव आया ही नहीं, तो वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को वादी से हर्जा–खर्चा एक लाख रूपये दिलाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश जो प्रतिवादीगण के पक्ष में हो पारित फरमावे।

वादी के वाद, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के जवाबदावे के आधार पर निम्नानुसार तनकियात् कायम की गई :–

1. आया मौजा जालेली दईकड़ा के खसरा नम्बर 150 रकबा 21.01 बीघा 225 रकबा 17.15 बीघा खसरा नम्बर 709 रकबा 44.07 बीघा सालवा कलां वर्तमान रामनगर में कुल

Gopal

83.04 बीघा में से खसरा नम्बर 150 रकबा 21.01 बीघा पर केवल वादी का ही विधिवतरूप से काबिज खातेदार भी है।

.....जिम्मे वादी

2. क्या आया वादी का वाद सन् 29.04.1969 के दस्तावेज को वाद का मूल आधार बनाने के कारण म्याद विधि से बाधित है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

3. उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 150 कभी भी वादी का मालिकाना खातेदारी व कब्जा काश्त की नहीं रही?

.....जिम्मे प्रतिवादी

4. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात द्वारा प्रस्तुत लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

5. वादी द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार की भूमि पर Adverse Possession नहीं मांग सकता है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

6. आया वादी वादग्रस्त कृषिभूमि के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

.....जिम्मे वादी

उपर्युक्त तनकीयात् कायम करने के पश्चात् वादी सुन्दरदास उर्फ सुंदरलाल पुत्र श्री लिखमीदास निवासी गांव जालेली नायला तहसील जोधपुर व जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नम्बर 286, रामनगर, पुरानी झंवर रोड़, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर, बस्तीराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति चौधरी निवासी गांव जालेली नायला तहसील जोधपुर जिला जोधपुर आज बमुकाम जोधपुर और भंवरलाल पुत्र श्री उर्जाराम जाति चौधरी निवासी गांव जालेली नायला तहसील जोधपुर जिला जोधपुर आज बमुकाम जोधपुर ने अपनी साक्ष्य में अपने बयान लिपिबद्ध करवाये एवं साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्शित करवाये जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को कई अवसर देने के पश्चात् भी बहस के लिए उपस्थिति नहीं देने से बहस का अवसर समाप्त किया गया। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा बहस के दौरान अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम जालेली दईकड़ा खसरा नम्बर 150, ग्राम जालेली दईकडा खसरा नम्बर 225, ग्राम रामनगर खसरा नम्बर 709 कुल रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा में परिवार की वंशावली के अनुसार वादी का 1/7 हिस्सा बनता है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण 2–7 के पिता स्व. मोहनदास तथा प्रतिवादी संख्या 8 के पिता स्व. सोहनदास का बंट कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा 8–4/7 (आठ सही चार बट्टा सात बिश्वांसी) बना। आपसी पारिवारिक समझौते लिखत दिनांक 29.4.69 के अनुसार मोहनदास व सोहनदास को खसरा नम्बर 709 कुल रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा में से आधा हिस्सा तय किया गया व उसी अनुसार जमाबन्दी में आज दिन भी यह हिस्सा खसरा नम्बर 709 में मोहनदास व सोहनदास के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा आपसी समझौता अनुसार सिर्फ वादी व अन्य हिस्सेदार नैनूराम, रामगोपाल व रामलाल उर्फ रामदास की खातेदारी की रही। नेनुराम, रामगोपाल व रामदास द्वारा खसरा संख्या 150 में से अपना हिस्सा सुन्दरदास वादी के पक्ष में दिनांक 27.7.1989 को हकतर्क किया जिसका अंकन भी जमाबन्दी में किया जा चुका है जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त खसरा नम्बर 150 का वादी खातेदार अधिकार पाने का हकदारी है। वादी वादग्रस्त भूमि पर मौके पर दिनांक 29.4.1969 से शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त करता आ रहा है जिससे विकल्प के रूप में एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। विकल्प के रूप में प्रतिवादीगण का पिछले 12 वर्षों से भूमि पर काबिज ना होने से उनके अधिकरों की खसरा संख्या 150 में समाप्ति हो चुकी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा गांव जालेली दईकड़ा

Gaurav

तहसील जोधपुर का वादी को खातेदार आसामी घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार की चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के पक्ष में घोषित भूमि में वादी के कबजे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलांदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे व अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत जो इस प्रकार है :—

1. **आर.आर.डी. 2005 पेज 44 पेरा 6** — परिवार के पूर्वजो द्वारा आपसी समझौते से यदि कोई बंटवाडा किया गया है तो उस बंटवाड़ा को मान्यता दी जावेगी तथा जिस बंटवाड़ा को उत्तराधिकारी मानने बाबत बाध्य होगें।
2. **ए.आई.आर. 1966 एस.सी. पेज 323** — जिसका उस सम्पति में हिस्सा है या उस सम्पति का जो उत्तराधिकारी है उनकी आपसी लिखित फेमिली सेटलमेन्ट माना जावेगा जिस फेमिली सेटलमेन्ट माना जावेगा जिस फेमिली सेटलमेन्ट से वे सभी पक्षकार हमेशा के लिए पाबन्द रहेगे।
3. **आर.आर.डी 2002 पेज 122 पेरा 7** — जब लिखित दस्तावेज उपलब्ध है तो उनकी तुलना में मौखिक साक्ष्य का महत्व ही नहीं रहता है।

4- **R.R.T. 2019 (2)PAGE 1354 S.C.(L.B)** :- Imp. Point- suit for declaration on the basis of adverse possession is maintainable.

5- **आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1245 (डी.बी.)** — 12 वर्ष से अधिक कब्जा होने के आधार पर वाद डिक्री किया जाकर वादी को खातेदार घोषित करना विधिवत है।

6- **आर.आर.टी. 2006 —07 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 95 पेरा 7 राज. हाई कोर्ट** — संयुक्त हिस्सेदारी की भूमि पर भी एडवर्स पजेशन लागू होता हैं धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पेश — The disputed lands were in the sole exclusive peaceful uninterrupted possessionof the petitioner since April 13, 1968 thereafter the petitioner had acquired title by adverse possession over the said land.

7- **R.R.D. 2000 PAGE 45** :- Khatedari rights, title or interest cannot be forfeited on the ground that they do not live in village.

प्रस्तुत वाद, जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 से 8, वादी की ओर से साक्ष्य, वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को के अवलोकन व मनन उपरान्त तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :—

तनकी संख्या 1 :— इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी पर है।

वादी द्वारा वर्णित पारिवारिक समझौता दिनांक 29.4.69 मोहनदास, गीता पत्नी स्व. सोहनदास, सुन्दरदास उर्फ सुन्दरलाल, नेनुराम, रामगोपाल,रामलाल उर्फ रामदास के बीच खसरा संख्या 709 के लिये किया गया। पारिवारिक समझौते के अनुसार सोहनदास व मोहनदास को खसरा संख्या 709 का 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ व सुन्दरदास उर्फ सुन्दलाल, नैनुराम, रामगोपाल, रामलाल उर्फ रामदास को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसरण में हुई जमाबन्दी में प्रविष्ठी खसरा संख्या 709 में ही हुई। उक्त पारिवारिक समझौते में खसरा संख्या 150 बाबत कोई वर्णन हीं है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक समझौते का खसरा संख्या 150 पर कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता। वादी द्वारा यह दर्शाया गया कि लिखमीदास के 7 वारिसान होने से सभी का 1/7 हिस्सा यानि 11 बीघा 17 बिस्वा 14—2/7 बिश्वांसी बनता है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पिता मोहनदास व प्रतिवादी संख्या 8 के पिता सोहनदास का कुल 23 बीघा 15 बिस्वा 8—4/7 बिश्वांसी बनता है जिससे उनका खसरा संख्या 709 में से 22 बीघा 3 बिस्वा 10 बिश्वांसी बंट में आने से अन्य खसरों पर उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं बनता है परन्तु पारिवारिक समझौते में अन्य खसरों के संबंध में ऐसी कोई लिखा—पढी मौजुद नहीं। अगर 1/7 हिस्से के अनुसार हिस्सेदारी तय की जाती है तो न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी संज्ञान में लेना होगा कि खसरा संख्या 709 में से वादी को अपने अन्य 3 भाई रामगोपाल, रामदास व नैनुराम के साथ संयुक्त रूप से 1/2 का हिस्सा प्राप्त हुआ ।ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अपनी1/7की हिस्सेदारी खसरा संख्या 150 में से पूर्ण रूप से प्राप्त किये जाने सें न्यायालय सहमत

नहीं। नेनुराम रामगोपाल व रामदास ने खसरा संख्या 150 से अपना हिस्सा वादी सुन्दरदास के पक्ष में तर्क किया जिसे नामान्तरण संख्या 459 से स्वीकृति मिली उक्त इकरार सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने हिस्से तक ही किया जा सकता है। जिससे खसरा संख्या 150 के रकबेह सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक की हिस्से की कृषि भूमि पर कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता वादी द्वारा विकल्प के रूप में 1969 से खसरा संख्या 150 पर शांतिपूर्वक भौतिक रूप से कब्जा व काश्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एडवर्स पजेशन से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गए है व प्रतिवादीगण द्वारा बारह वर्ष से उक्त भूमि पर काबिज नहीं होने से उनके खातेदारी अधिकारों की समाप्ति चाही हैं इस संबंध में वादी खसरा संख्या 150 पर कब्जा होने का मौखिक साक्ष्य पेश किया गया है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना होने से न्यायालय द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2,3,4,5 :– तनकी संख्या 2,3,4,5 साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रारम्भिक आपत्तिया प्रस्तुत की है लेकिन प्रतिवादीगण ने जवाबदावा को गवाहो से पुष्टि नहीं करवाई गई है। प्रतिवादीगणों ने कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिनसे जवाबदावा की पुष्टि हो सके। अतः उक्त वाद बिन्दु संख्या 2,3,4 व 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

तनकी संख्या 6 :– तनकी संख्या 6 को साबित करने का दायित्व वादी पर है तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी नहीं माना है ऐसी अवस्था में वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा के आज्ञा दिये जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप तनकी संख्या 6 वादी के विरूद्ध तय की जाती है

निर्णय

हमने प्रस्तुत पत्रावली, वादपत्र तथा उपर्युक्त विवेचन तथा संबंधित विधि एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से यह सिद्ध होता है तनकी संख्या 1 व 6 वादी के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है तथा तनकी संख्या 2 से 5 प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध तय हुई है। वादी मूल रूप से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का लाये है। वादी ने प्रतिकूल कब्जे को साबित नहीं कर पाये है। मौखिक गवाहो ने अपने बयानो में वादी का कब्जा बताया है, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे मौखिक गवाहो से पुष्टि करवाई गई हो। मात्र मौखिक गवाहो पर विश्वास करना न्यायोचित नहीं होगा। वादी ने प्रतिवादीगणो की ओर से जवाबदावा एवं प्रारम्भिक आपत्तियों का खण्डन तक नहीं किया है। हस्तगत वाद में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनकों एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल) कब्जे को साबित करता हो। ऐसी अवस्था में वादी अपने वाद को प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है।

(अपूर्वा परिवाल) R.A.S
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपूर्वा परिवाल) R.A.S
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर